न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 198/2013
निर्णय दिनांक : 11.04.2019

उनवान

1. रामरतन पाण्डे पुत्र स्व0 श्री जानकी शरण पाण्डे
2. कौशल किशोर पाण्डे पुत्र स्व0 श्री जानकी शरण पाण्डे
   जाति छीपा निवासीयान बौहरों का मोहल्ला, राधा बल्लभ मार्ग सांगानेर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मोहन
2. अशोक कुमार पुत्र मोहन
3. मु0 नारायणी पत्नी मोहन
4. मु0 गंगा देवी पत्नी कानाराम
5. सीताराम } पुत्रान् कानाराम
6. घनश्याम }
7. रामरतन }
8. बोदू पुत्र लादूराम
9. नाथू पुत्र देवा
   समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान गुर्जरो की तलाई, सांगानेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता–नगर निगम रोड, सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत नो का सयुक्त आराजीयात की कृषि भूमि खसरा नम्बर 676 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। मद नम्बर एक में वर्णित आरजी कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चार लगायत सात का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या आठ का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या नो का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज हैं जिस पर पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता श्री जानकीदास पाण्डे पुत्र श्री बालचन्द पाण्डे जाति छीपा निवासी बोहरो का मोहल्ला सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने कल्याण, सूठा, रामू पुत्रान गणेश जाति गुर्जर एवं राजू, मदन पुत्रान पेपू, मु0 गुलखु बेवा पेपू जाति गुर्जर समस्त निवासी गुर्जरो की तलाई सांगानेर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.1994 को खसरा नम्बर 676 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में से 4/16 यानि 1/4 हिस्सा क्रय की हैं जो दिनांक 01.02.1994 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 155 क्रम संख्या 154 पृष्ठ संख्या 154 तक पंजीबद्ध किया गया हैं एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 233 के पृष्ठ संख्या 216 से 220 तक पंजीबद्ध किया गया हैं जिसके वादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज होकर अपने व्यापार हेतु छपाई का उघोग (फैक्ट्री) बना रखी है। जिसमें विधुत कनेक्शन वादी संख्या एक के पुत्र लक्ष्मीनिधी पाण्डे पुत्र रामरतन पाण्डे के नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा हैं विधुत कनेक्शन का उपयोग लघु उद्योग

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

श्रेणी में किया जा रहा है। दिनांक 01.02.1994 को ही विक्रेतागण ने मनबट से बटवारा करके खसरा नम्बर 676 रकबा 1.16 एवं खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 कुल किता दो कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में आपस में मनमट करके वादीगण को खसरा नम्बर 676 एवं 677 दोनो को इकजायी करके वादीगण को खसरा नम्बर 676 के दक्षिण पश्चिम कोणे में जो खसरा नम्बर 677 के दक्षिण की ओर स्थित है में 1/4 हिस्से अनुसार काबिज करवा दिया जिसमें वादीगण ने लाखो रूप्ये खर्च कर लघु श्रेणी का उद्यौग (छपाई का कारखाना) स्थापित कर रखा है। कि पक्षकारान् के द्वारा मनबट से हिस्से अनुसार वादीगण को 1/4 हिस्से का काबिज करवा दिया और वादीगण मनबट से किये गये बटवारे के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं वादीगण को जो मनबट से 1/4 हिस्से पर काबिज करवाया हैं उसको नक्शा ट्रेस में हरे रंग से चिन्हित कर रखा हैं एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो के हिस्से को पीले रंग से चिन्हित कर रखा है। वादीगण वर्ष 1994 से ही अपने 1/4 हिस्से पर काबिज हैं फिर भी प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो वादीगण को आये दिन ही हैरान व परेशान करते हैं इसलिए वादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स खसरा नम्बर 676 एवं 677 में से खसरा नम्बर 676 के दक्षिण पश्चिम भाग पर जहां प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो के द्वारा वादीगण को मनबट से काबिज करवा रखा है का बटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर वादीगण का अलग से खाता कायम किया जाकर लगान निर्धारित करें इस हेतु प्रतिवादी संख्या दस को पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो दिनांक 08.09.2013 को वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम खसरा नम्बर 676 के दक्षिण पश्चिमी भाग जिस पर वादीगण काबिज हैं को अन्य लोगो को विक्रय करेगें इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो वादीगण के खसरा नम्बर 676 के दक्षिण पश्चिमी भाग जिसको संलग्न नक्शे में हरे रंग से दिखाया गया हैं को किसी भी व्यक्ति या संस्था को विक्रय नही करें न वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें न अन्य से करावे इस हेतु प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या दस को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मौके पर मनबट से जिस जगह पक्षकारान् काबिज हैं का भौतिक सत्यापन कर कब्जे अनुसार पक्षकारान् का हिस्सा अंकित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करें इस हेतु प्रतिवादी संख्या दस को आदेशित किया जाये। प्रतिवादी संख्या ग्यारह को भी पाबन्द फरमाया जावे के प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो के द्वारा मद नम्बर एक में वर्णित आराजी कृषि भूमि के किसी भी भाग को विक्रय एवं हस्तान्तरित करने पर उसके विक्रय पत्र का पंजीयन नही करे। प्रतिवादी संख्या दस भू–धारक हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या दस को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो के द्वारा वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी कृषि भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरित कर दिया जाता हैं तो वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगें और बिना वजह ही मुकदमेबाजी बढेगी जिससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 08.09.2013 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक लगायत नो ने वादीगण को वादीगण के कब्जे की भूमि को अन्य लोगो विक्रय करने की धमकी दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री शंकरलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक 10.10.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या एक लगायत 8 की ओर से जवाब दावे हेतु कई अवसर दिये गये। जवाब पेश नही होने पर दिनांक 20.03.2014 को जवाब दावे का अवसर बन्द किया गया। वादी ने पी0डब्लू01 कौशल किशोर पाण्डे, पी0डब्लू02 रामरतन पाण्डे, पी0डब्लू03 रामवतार चौधरी, पी0डब्लू04 रामबाबू सोपरा के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजात प्रदर्श 1 विक्रय पत्र, प्रदर्श 2 सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा नम्बर 676

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

व 677, प्रदर्श 3 सत्यप्रतिलिपि नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 4 बिजली का बिल पर प्रदर्श डाले गये। पी0डब्ल्यू 1 कौशल किशोर पाण्डे से दिनांक 29.05.2014 एवं पी0डब्लू02 रामरतन पाण्डे से दिनांक 27.06.2014 को जिरह की गयी। शेष गवाह उपस्थित नहीं होने से जिरह बन्द की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। वकील प्रतिवादीगण को दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नही होने पर दिनांक 31/05/2018 को वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री जारी की गयी।

अतः दिनांक 31/05/2018 को डिक्री जारी कर विवादित आराजीयात को कब्जे काश्त एवं मीट्स एण्ड बाउन्डस व मौके व हिस्सेनुसार विधिक विभाजन कर अलग–अलग खाता व दर हिस्सा व लगान का निर्धारण कर तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में दिनांक 18.07.2018 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2019/83 दिनांक 15/01/2019 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे के भिजवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी। कुरेजात रिपार्ट पर वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस कुरेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 676 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है।

वर्तमान कुरेजात						
क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	676 677	1.1600 0.3800	चाही2 चाही2 0.3000 जाव2 0.0800	43.50		राधेश्याम, अशोक कुमार पि0 मोहन, मु0 नाराणी पत्नी मोहन हि0 1/6 हि0ब0 जाति गुर्जर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर टाउन(जयपुर) मुर्तहीन गंगा देवी पत्नी कानाराम, सीताराम, घनश्याम, रामरतन पि0 कानाराम हि0 1/6 हि0ब0, बोदू पुत्र लादू हि0 1/6, नाथू पुत्र देवा हि0 1/4 कौम गुर्जर, रामरतन पाण्डे, कौशल किशोर पाण्डे पि0 जानकीदास पाण्डे जाति छीपा नि0 बोहरों का मौहल्ला, सांगानेर हि0 1/4 खातेदार
योग	किता 2	1.5400		43.50		
नोटः–मौके पर वादीगण उपस्थित मिले। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं मिले। उपस्थित के हस्ताक्षकर कराये गये।						

प्रस्तावित कुरेजात						
क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	676/1	0.3850	चाही 2			रामरतन पाण्डे, कौशल किशोर पाण्डे पि0 जानकीदास पाण्डे जाति छीपा नि0 बोहरों का मोहल्ला, सांगानेर
योग	किता 1	0.3850				

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

2	676 677	0.7750 0.3800	चाही 2 चा0 2 0.3000 जाव 2 0.0800			राधेश्याम, अशोक कुमार पि0 मोहन, मु0 नाराणी पत्नी मोहन हि0 2/9 हि0ब0 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर(जयपुर) गंगा देवी पत्नी कानाराम, सीताराम, घनश्याम, रामरतन पि0 कानाराम हि0 2/9 हि0ब0, बोदूराम पुत्र लादूराम हि0 2/9, नाथू पुत्र देवा हि0 1/3 कोम गुर्जर नि0 गुर्जरों की तलाई सांगानेर
योग	किता 2	1.1550	चा02 1.0750 जा0 0.0800			
नोटः— खातेदार नाथू पुत्र देवा फोत हो चुका है। जिसके वारिसान केसर देवी(पत्नि), कमली, लाली (पुत्रियां) रामदयाल, किशनलाल (पुत्रान्) है।						

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग—अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **11.04.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास **श्री घनश्याम शर्मा,** आर.ए.एस.

वाद संख्या : 198 / 2013

उनवान

1. रामरतन पाण्डे पुत्र स्व0 श्री जानकी शरण पाण्डे
2. कौशल किशोर पाण्डे पुत्र स्व0 श्री जानकी शरण पाण्डे

जाति छीपा निवासीयान बौहरों का मोहल्ला, राधा बल्लभ मार्ग सांगानेर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मोहन
2. अशोक कुमार पुत्र मोहन
3. मु0 नारायणी पत्नी मोहन
4. मु0 गंगा देवी पत्नी कानाराम
5. सीताराम
6. घनश्याम } पुत्रान् कानाराम
7. रामरतन
8. बोदू पुत्र लादूराम
9. नाथू पुत्र देवा

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान गुर्जरो की तलाई, सांगानेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता–नगर निगम रोड, सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर के हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 676 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है।

वर्तमान कुर्रेजात						
क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	676 677	1.1600 0.3800	चाही2 चाही2 0.3000 जाव2 0.0800	43.50		राधेश्याम, अशोक कुमार पि0 मोहन, मु0 नाराणी पत्नी मोहन हि0 1/6 हि0ब0 जाति गुर्जर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर टाउन(जयपुर) मुर्तहीन गंगा देवी पत्नी कानाराम, सीताराम, घनश्याम, रामरतन पि0 कानाराम हि0 1/6 हि0ब0, बोदू पुत्र लादू हि0 1/6, नाथू पुत्र देवा हि0 1/4 कौम गुर्जर, रामरतन पाण्डे, कौशल किशोर पाण्डे पि0 जानकीदास पाण्डे जाति छीपा नि0 बोहरों का मौहल्ला, सांगानेर हि0 1/4 खातेदार

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

योग	किता 2	1.5400		43.50		
नोटः—मौके पर वादीगण उपस्थित मिले। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं मिले। उपस्थित के हस्ताक्षकर कराये गये।						

प्रस्तावित कुर्रेजात						
क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	रंग	नाम प्रस्तावित खातेदार
1	676/1	0.3850	चाही 2			रामरतन पाण्डे, कौशल किशोर पाण्डे पि0 जानकीदास पाण्डे जाति छीपा नि0 बोहरों का मोहल्ला, सांगानेर
योग	किता 1	0.3850				
2	676 677	0.7750 0.3800	चाही 2 चा0 2 0.3000 जाव 2 0.0800			राधेश्याम, अशोक कुमार पि0 मोहन, मु0 नाराणी पत्नी मोहन हि0 2/9 हि0ब0 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांगानेर(जयपुर) गंगा देवी पत्नी कानाराम, सीताराम, घनश्याम, रामरतन पि0 कानाराम हि0 2/9 हि0ब0, बोदूराम पुत्र लादूराम हि0 2/9, नाथू पुत्र देवा हि0 1/3 कोम गुर्जर नि0 गुर्जरों की तलाई सांगानेर
योग	किता 2	1.1550	चा02 1.0750 जा0 0.0800			
नोटः— खातेदार नाथू पुत्र देवा फोत हो चुका है। जिसके वारिसान केसर देवी(पत्नि), कमली, लाली (पुत्रियां) रामदयाल, किशनलाल (पुत्रान) है।						

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.04.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner